कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

//विविध आदेश//

क्र. 49/एक–15–7/15/एस.डब्ल्यू/2020 बुरहानपुर, दिनांक–17.05.2021

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर का आदेश क. 2794, दिनांक 16.05.2021 के द्वारा **दिनांक 17.05.2021 से दिनांक 20.05.2021 (सुबह 06:00 बजे तक)** तक जिला बुरहानपुर में की गई **कोरोना कर्फ्यू** की घोषणा तथा माननीय रजिस्ट्री के एस.ओ.पी कमांक ए/113, दिनांक 15.01.2021 एवं अतिरिक्त एस.ओ.पी क. ए/1149 दिनांक 03.04.2021, एवं अधीनस्थ न्यायालय हेतु जारी अति. एस.ओ.पी. दिनांक 20.04.2021 के अनुक्रम में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन आदेश कमांक एफ/35–09/2020/दो/सी–2 भोपाल, दिनांक 20.04.2021 के अनुक्रम में, मैं **के. एस. बारिया, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर,** जिला न्यायालय बुरहानपुर एवं तहसील न्यायालय नेपानगर के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र कमांक–4 दिनांक–07.05.2021 कंडिका कमांक–2 की ड्यूटी लिस्ट में संशोधन कर, परिपत्र के शेष निर्देशों को **दिनांक–20.05.2021** तक निरंतर रखते हुये, कंडिका कमांक–19 के पश्चात् कंडिका कमांक–20 निम्नानुसार संयोजित की जाती है:–

20. उपरोक्त परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा रिट पिटिशन कमांक WP-9320-2021 इन रिफरेंस विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा निर्मित हाईपॉवर कमेटी के निर्देश दिनांक 12.05.21 के पालन हेतु इस विविध आदेश द्वारा दिनांक 17.05.2021 एवं दिनांक 18.05.2021 से दि. 22.05.2021 तक या आगामी आदेश की अवधि के लिये न्यायाधीश कार्यवाहियों के लिये निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. दिनांक 17.05.2021 को समस्त न्यायाधीश कार्य में उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय की हाईपॉवर कमेटी के अनुपालन में उनके न्यायालय से संबंधित जेल अधीक्षक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्रों का निराकरण करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जमानत आवेदन–पत्र प्रस्तुत होने पर या पूर्व से लंबित जमानत आवेदन–पत्रों का भी निराकरण करेंगे।
2. दिनांक 17.05.2021 को उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले आवेदन–पत्रों (जिनमें केस डायरी अथवा कोई अभिलेख बुलाया जाना है) का पंजीयन करेंगे तथा आगामी सुनवायी हेतु नियत दिनांक पर वे स्वयं अथवा उनके अनुपस्थित/अवकाश में रहने की दशा में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार नामित न्यायाधीश द्वारा की जावेगी।
3. इसके अतिरिक्त उक्त दिनांक 17.05.2021 को उनके समक्ष प्रस्तुत अन्य आवश्यक कार्यों (सुपुर्दगीनामा, धारा 164 के कथन, रिमाण्ड, अंतिम प्रतिवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो न्यायालय के गत में त्वरित सुनवाई योग्य हो) की सुनवाई विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किये जा सकेंगे।
4. दिनांक 17.05.2021 को माननीय उच्च न्यायालय की हाईपॉवर कमेटी के अनुपालन में जेल अधीक्षक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्रों की संभावित संख्या को दृष्टिगत समस्त न्यायाधीश समय **11:00 से 05:00** बजे तक उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।
5. दिनांक 17.05.2021 के पश्चात् यदि कोई आवेदन माननीय उच्च न्यायालय की हाईपॉवर कमेटी के अनुपालन में जेल अधीक्षक की ओर से प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त आवेदन का निराकरण संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अथवा उनके अनुपस्थित या अवकाश में रहने की दशा में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार नामित न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा।
6. उक्त दौरान अत्यावश्यक प्रकृति (जमानत, सुपुर्दगीनामा, धारा 164 के कथन, रिमाण्ड, अंतिम प्रतिवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो न्यायालय के मत में त्वरित सुनवाई योग्य हों) के मामलों की सुनवाई केवल विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जावेगी। आवश्यक कार्य निष्पादित कर रहे न्यायाधीश विवेकानुसार अपवादित स्थिति में कोविड–19 के दिशा निर्देशों के अधीन भौतिक सुनवाई कर सकेंगे।

7. सी.आई.एस. से संबंधित अति आवश्यक कार्य निष्पादित किये जाने हेतु जूनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री राजेश कुमार नागले एवं डीएसए श्री अभिषेक सोनी प्रतिदिन कम अनुसार 50 प्रतिशत तक 11:00 से 5:00 उपस्थित होकर कार्य करेंगे।
8. आवश्यकतानुसार पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी न्यायालय/अनुभागों में पदस्थ सभी कर्मचारियों या 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी को कार्य हेतु बुला सकेंगे।
9. अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदनपत्रों को न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल आई.डी. से प्रस्तुत किया जावेंगे, समस्त आरक्षी केन्द्र भी केश डायरी को न्यायालय की अधिकारिक ईमेल आई.डी. पर प्रेषित करेंगे। अपरिहार्य कारणों एवं अपवादित स्थिति में ही न्यायालय के फाईलिंग काउंटर में आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आवेदन प्रस्तुति में कोविड-19 के संबंध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावेगा। अधिवक्तागण द्वारा तर्क हेतु जिट्सी मीट (jitsi meet) एप का प्रयोग किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रदान की गई लिंक का प्रयोग कर एप डाउनलोड कर दी गई कोर्ट की लिंक के माध्यम से तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे। किसी प्रकार की समस्या आने पर सिस्टम ऑफिसर के मोबाईल नम्बर पर संपर्क कर सकेंगे।
10. दिनांक 20.05.2021 के पश्चात् यदि जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा आगामी कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी किया जाता है या निरंतर किया जाता है तो सत्र/अपर सत्र न्यायालय, बुरहानपुर से संबंधित अत्यावश्यक कार्य श्री राकेश कुमार पाटीदार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानुपर संपादित करेंगे। दिनांक 21.05.2021 को श्री आयुष कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों का अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे व उसके पश्चात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर के निर्देशानुसार जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की ड्यूटी लगाई जाती है, उस तिथि को वे समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों का अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे।

उक्त अवधि में जिला न्यायालय बुरहानपुर एवं तहसील नेपानगर के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निम्न अधिकारियों द्वारा संपादित किया जावेगा:

मुख्यालय	दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम
जिला मुख्यालय बुरहानपुर	17.05.2021	समस्त न्यायिक अधिकारीगण (ग्रीष्मकालीन अवकाश को छोड़कर)
	18.05.2021	1-श्री राकेश कुमार पाटीदार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2-श्री आयुष कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
	19.05.2021	1-श्री राकेश कुमार पाटीदार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2- श्री रामसिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
	20.05.2021	1-श्री राकेश कुमार पाटीदार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2- सुश्री शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील मुख्यालय नेपानगर	दिनांक-17, 18 एवं 19 मई 2021.	डॉ. श्री गौरव गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेपानगर, तथा उनके अवकाश पर रहने की दशा में जिला मुख्यालय बुरहानपुर में तत्समय उपरोक्तानुसार उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

संलग्नः- रिट पिटिशन कमांक WP-9320-2021

सही/-

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

पृ. क्र. 657/एक–15–7/15/एस.डब्ल्यू/2020 बुरहानपुर, दि. 17.05.2021

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) समस्त न्यायालय एवं अनुभाग तथा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर/तहसील न्यायालय नेपानगर
(3) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर
(4) जिला अभिभाषक संघ बुरहानपुर
(5) लोक अभियोजक/जिला अभियोजन कार्यालय बुरहानपुर
(5) जिला दंडाधिकारी बुरहानपुर
(6) पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर
(7) सी.एम.ओ, जिला चिकित्सालय, बुरहानपुर
(8) जेल अधीक्षक, जिला जेल खंडवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(9) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, समस्त संबंधितों को उनकी ई–मेल आई.डी./व्हाटसअप के माध्यम से सूचित करें।
(10) जिला नाजिर की ओर 03 प्रतियां, विभिन्न सूचना–पटल पर चस्पा करने हेतु एवं समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संसूचित कराये जाने हेतु प्रेषित।

17/5/21

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर